<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद संख्या–172/2000</u>

<u>CIS NO. 189/2018</u>

नेमाजी मियाँ...वादी

बनाम

तैयाब मियाँ एवं अन्य...प्रतिवादीगण

<u>06.02.2021</u> वादी की पैरवी है। प्रतिवादीगण की पैरवी नहीं है। वादी की ओर से आज एक आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है। जिसपर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–3 बीबी अंसारा का मृत्यु दिनांक 03.12.2020 को हो गई है तथा वे अपने पीछे एक मात्र लड़की लाल बीबी को छोड़ गई है। अतः वादपत्र से उक्त प्रतिवादी का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर लाल बीबी का नाम को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

सुना तथा न्याय हित में वादी के आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से उक्त प्रतिवादी का नाम विलोपित करते हुए उसके स्थान पर लाल बीबी का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। तद्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 04.03.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)